

4.11.25

पतावली बेरा हुई। वकीलवारी उप.
वकीलवारी ने पतावली में आगे
कोई कार्यवाही नहीं चाहने एवं
न्यायालय द्वारा अब तक की गई
कार्यवाही से संतुष्ट हैं। वकीलवारी
द्वारा नोट फ़ैस किये का निवेदन
किया। वकीलवारी द्वारा नोट फ़ैस
किये जाने के आधार पर वाद खारिज
किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Note
press